न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या 455/2021
निर्णय दिनांक

शंकर लाल पुत्र श्री नाथू जाति माली, निवासी ग्राम तिबारा की ढाणी, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

रूडा पुत्र गोपी जाति माली निवासी ग्राम तिबारा की ढाणी, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)

1. शंभू दयाल सैनी पुत्र स्व. रूडा (मृतक दौराने दावा)
   - 1/1 हरिनारायण पुत्र स्व. शंभू दयाल सैनी
   - 1/2 योगेश पुत्र स्व. शंभू दयाल सैनी
   - 1/3 रोहित पुत्र स्व. शंभू दयाल सैनी
   - 1/4 सुशीला देवी पत्नि स्व. शंभू दयाल सैनी

   निवासी ग्राम तिबारा की ढाणी, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. लालाराम पुत्र स्व. रूडा जाति माली निवासी ग्राम तिबारा की ढाणी, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर हाल निवासी मालियों का मोहल्ला, चावण माता मन्दिर के पास, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
3. रामपाली देवी पुत्री स्व. रूडा पत्नि मोहन जाति माली निवासी ग्राम तिबारा की ढाणी, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर हाल निवासी ढाणी रामगढ, रामगढ रोड, जयपुर।
4. कालू पुत्र जैला जाति माली (मृतक दौराने दावा)
   - 4/1 गुड्डी देवी पुत्री स्व. कालूराम पत्नि फूलचन्द जाति माली हाल निवासी ग्राम खराना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
   - 4/2 मन्ज़ू देवी पुत्री स्व. कालूराम पत्नि हेमराज जाति माली हाल निवासी ग्राम धूलारावजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
   - 4/3 छोटी देवी पुत्री स्व. कालूराम पत्नि मदनलाल जाति माली निवासी धूलारावजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. लालू पुत्र जैला जाति माली निवासी ग्राम तिबारा की ढाणी, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
6. बाबू पुत्र जैला जाति माली निवासी ग्राम तिबारा की ढाणी, सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 14.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 228/2017 उनवान रूडा बनाम शंकरलाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के वाद पत्र संख्या 228/2017 बउनवानी रूडा बनाम शंकरलाल व अन्य में पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 190 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 322 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। आराजीयात में वादी का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। वादी का आराजीयात में 1/4 हिस्सा तथा इसी हिस्सेनुसार वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से की भूमि पर साधिकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा आज तक नहीं हुआ है मनबट अनुसार पक्षकारान् काबिज होकर काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है इस कारण वह आराजीयात का विधिवत तकासमा कराये बिना ही आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 3 शामलाती खातेदारी भूमि खसरा नंबर 322 में से वादी को अपने हिस्से की भूमि पर जाने नहीं देते है तथा जाने वाले रास्ते पर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है, वादी द्वारा प्रतिवादी से कई बार विधिवत बंटवारा करवाये जाने हेतु निवेदन किया जा चुका है किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहते है एवम् कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने विधिवत तकासमा करवाये जाने से साफ इंकार कर दिया इस कारणवश वादी को यह वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नंबर 190 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 322 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार व सरस–नरस के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य तकासमा किया जाकर नक्शे में तरमीम करवाई जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा नंबर 190 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 322 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की आराजीयात का बिना विधिवत तकासमा हुए किसी दीगर व्यक्ति को बेचान न करें, वादी के हिस्से के उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न न करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 12.10.2015 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर, तहसीलदार को वादग्रस्त आराजीयात के उभयपक्षों की उपस्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सरस–नरस के आधार पर कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार द्वारा नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 14.09.2021 को अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर, अंतिम निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत कुरैजात रिपोर्ट प्रस्तुत होने के विरूद्व आपत्ति प्रार्थना पत्र मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया था एवम् निवेदन किया गया था कि आराजीयात पर पहुंच हेतु पूर्व से ही वर्षो पुराना रास्ता कायम है जिसका उपयोग कर समस्त खातेदारान् आराजीयात पर पहुंच हेतु करते है। कुरैजात अनुसार नया रास्ता कायम करने की आवश्यकता कतई नहीं है, नया रास्ता कायम किये जाने से आराजीयात दो टुकडों में विभक्त हो जायेगी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर ध्यान न देकर गलत कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर गंभीर त्रुटि कारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शे कुरैजात का परीक्षण न कर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अपीलाधीन निर्णय डिक्री खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि आराजीयात में पहुंच हेतु पूर्व से कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। अपीलान्ट/वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में जिस रास्ते का अंकन किया है वह रास्ता खसरा नंबर 322 का भाग नहीं है उक्त रास्ता खसरा नंबर 315 की भूमि में स्थित है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर मौके अनुसार नक्शे कुरैजात तैयार किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शे कुरैजात का परीक्षण कर कुरैजात प्राथमिक निर्णय डिक्री अनुसार सही पाये जाने पर अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी के दो आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट लम्बित थे, जिनमें प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसकी आराजीयात को दो भागों में विभक्त कर रास्ता कायम किये जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके अतिरिक्त यह भी आपत्ति दर्ज करवाई थी कि उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तैयार नहीं की गई। इस सन्दर्भ में वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के जवाब के मद संख्या 8 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि " पटवारी व गिरदावर द्वारा बनाई गई रिपोर्ट दिनांक 18.02.2019 सही व वास्तविक स्थिति अनुरूप है " से भी स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार की मौजूदगी में तैयार नहीं की गई है जो स्वयं अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों के विपरीत है क्योंकि स्वयं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर स्वयं उपस्थित होकर तैयार किये जाने के आदेश दिये गये थे अन्यथा भी कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जाने की प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर किया जाना अपेक्षित होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के आदेशों के विपरीत बनाये गये कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय डिक्री त्रुटिपूर्ण पारित किये गये है, फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 14.09.2021 खारिज किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2021 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के अनुसरण में विभाजन नियमों की पालना के साथ कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर, कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान् की आपत्ति सुनकर, आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विस्तृत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 23/3/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर